कार्यालय अधीक्षक नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नांता कोटा (राज.)

ईमेल:-nariniketankota@gmail.com

क्रमांक:- 225 दिनांक :- 8/8/2023

मौसमी हरी,सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ खुली निविदा 03/2023-24

सान्याअवि आदेश क्रमांक एफ15( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/55892 दिनांक 20.11.2020 के तहत नारी निकेतन में प्रवेशित आवासनियों के लिए निर्धारित राशन मद हेतु प्रति आवासनी की राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेशों के तहत् सब्जी व फल की राशि प्रति आवासनी प्रतिमाह 450 रूपये /राशि वार्षिक प्रति आवासनी 5400 रूपये निर्धारित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित नारी निकेतन नान्ता, कोटा में आवासरत आवासनियों के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरी सब्जी एवं ताजा फल की वित्त वर्ष 2023-24 हेतु क्रय एवं आपूर्ति बाबत मुहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है:-

खुली निविदा 03/2023-24 कार्यक्रम

1.	SPPP के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि व समय	08.08.2023	2 PM
2.	SPPP के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	08.08.2023	2 PM
3.	निविदा प्रपत्र,निविदा शुल्क एवं निविदा दस्तावेज कार्यालय मे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	24.08.2023	11 AM
4.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	24.08.2023	2 PM
4.	वित्तिय निविदा खोलने की तिथि व समय	निविदाताओं को पृथक से सूचित करवा दिया जायेगा।	

वित्तिय निविदा खोलने की तिथि अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधीक्षक
नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा (राज.)

क्रमांक :- 226-230 दिनांक:- 8/8/2023

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. श्रीमान वित्तिय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करावे।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय नारी निकेतन ।

अधीक्षक
नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा (राज.)

कार्यालय अधीक्षक नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नांता कोटा (राज.)

इमेल :–nariniketankota@gmail.com

तकनीकी निविदा

खुली निविदा 03 / 2023–24

नारी निकेतन कोटा में एक वर्ष के लिए खुली निविदा फल एवं सब्जी की आपूर्ती के लिए निविदा।

1. निविदादाता का नाम ....
2. व डाक का पूरा पता...
   ....
3. दूरभाष नं. एवं मोबाईल नम्बर .... ईमेल..
4. संदर्भ निविदा विज्ञप्तिः–खुली निविदा सूचना संख्या 03 / 2023–24 क्रमांक .... दिनांक ....
5. अनुमानित लागत :– राशि रू 2.70 लाख
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 200/- हेतु SUPERINTENDENT NARI NIKETAN KOTA के पक्ष मे डी.डी. /बैकर्स/ चैकसंख्या/बैकर्स चैक संख्या/ ई–ग्रास जी.आर.एन नं... दिनांक................. कार्यालय में जमा करा दिया गया है।
7. बिड सिक्योरिटी राशि रूपये 5400/- हेतु SUPERINTENDENT NARI NIKETAN KOTA के पक्ष मे जारी डी.डी. /बैकर्स चैक संख्या..दिनांक .... संलग्न है।
8. बोली हेतु पात्रता की शर्ते /विवरण :–

क्र. स.	विवरण	दस्तावेज संख्या	सलंग्नक क्रमाकं
1	खाद्य पंजीयन		
2.	आयकर पैन कार्ड		
3.	आधार कार्ड		
4.	बैक पासबुक		
5.	**Acceptance for all terms and condition Of tender along with ANNEXURE-A,B,C,**	स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न की जावे।	

9. निविदाएं अधीक्षक नारी निकेतन कोटा को सम्बोधित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
10. क्रम सं. 8 के अर्न्तगत बिन्दू संख्या 1 से 5 तक के के वाछित प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा तकनिकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. मै/हमने खुली निविदा सूचना संख्या 03/2023–24 में वर्णित सभी शर्तो एवं सलंग्न शीट में दी गई अतिरिक्त शर्तो को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कार्यालय अधीक्षक नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नांता कोटा (राज.)

इमेल :–narinikctankota@gmail.com

मौसमी हरी सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ खुली निविदा 03/2023–24

सान्याअवि आदेश क्रमांक एफ15( )सा.सु/म.क./सान्यअवि/20–21/55892 दिनांक 26.11.2020 के तहत नारी निकेतन में प्रवेशित आवासनियों के लिए निर्धारित राशन मद हेतु प्रति आवासनी की राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेशों के तहत् सब्जी व फल की राशि प्रति आवासनी प्रतिमाह 450 रूपये /राशि वार्षिक प्रति आवासनी 5400 रूपये निर्धारित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित नारी निकेतन नान्ता, कोटा में आवासरत आवासनियों के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरी सब्जी एवं ताजा फल की वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु क्रय एवं आपूर्ति बाबत दिनांक 24.08.2024 को 11.00 AM तक मुहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अधिकतम आवासनियों की संख्या प्रतिदिन	मात्रा प्रति आवासनी प्रतिदिन	प्रतिमाह आवासनी प्रतिमुल्य	अनुमानित मूल्य वार्षिक	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)
1.	सब्जी मौसम अनुसार	50	0. 250कि.ग्रा.	450रूपये प्रतिमाह	रू0 2.70 लाख	रू. 200 मात्र	रू: 5400/–
2.	ताजा फल मौसम अनुसार		0.150 कि.ग्रा.				
			योग:–		रू0 2.70 लाख		

नोट :– आपूर्ति आदेश आवासनीयों की उपस्थिति की संख्या में कमी/बेशी के आधार पर किया जावेगा।

दिनांक:–

हस्ताक्षर
निविदादाता एवं नाम

• बिड की सामान्य शर्ते •

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते इनकी पूर्ण पालना करनी होगी।

1. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 200/- हेतु SUPERINTENDENT NARI NIKETAN KOTA के पक्ष मे डी.डी. /बैकर्स/ चैकसंख्या/बैकर्स चैक संख्या/ ई–ग्रास जी.आर.एन की हार्ड कॉपी कार्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व जमा करवानी होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने के बाद ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी।
2. निविदादाता को निविदा सूचना, निविदा दस्तावेजों में दिये गये दिशा निर्देशों एव शर्तो के अनुसार सम्बोधित करते हुए मुहरबन्द निविदा **"दो कवर प्रणाली"** द्वारा प्रस्तुत करने होगें। जिसमें **प्रथम लिफाफा** निविदादाता की तकनिकी योग्यता, निविदा प्रपत्रों के सम्बन्ध में होगा एवं **दुसरा लिफाफा** (ANNEXURE-C) कार्य की दरों के उद्दरण से सम्बन्धित होगा। मुल्य उद्दरण वाला **दूसरा वितिय प्रस्ताव** वाला लिफाफा केवल उन्ही निविदादाताओं का खोला जावेगा जो तकनिकी रूप से सफल पाये जायेंगे।
3. निविदा के लिफाफे पर **"फल सब्जी आपूर्ति हेतु निविदा"** अंकित किया जावें ।
4. (अ) तकनीकी प्रस्तावः–(प्रथम लिफाफा)
   - तकनीकी निविदा में दिये गये संबंधित दस्तावेज।
   - निविदादाता को विभाग द्वारा जारी निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करने होगें।
   - निविदाएं सामग्री के वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता/उत्पादनकर्ता द्वारा ही दी जावेगी। इस संबंध में निविदादाता द्वारा एस.आर. 11 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ANNEXURE - B)
   - बोली प्रतिभूति राशि –बिड सिक्योरिटी राशि 5400 रूपयें हेतु SUPERINTENDENT NARI NIKETAN KOTA के पक्ष मे जारी डी.डी./बैकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
   - निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ ANNEXURE- A से ANNEXURE –B को स्वहस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

   उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

   (ब) दर प्रस्ताव :–वित्तिय निविदा (ANNEXURE-C)
   - वित्तिय निविदा में समस्त आइटम के सामने दर प्रस्तुत करनी होगी।(अंको व शब्दों में)
   - वित्तिय निविदा में कोई कँटनी–छँटनी मान्य नही होगी।
   - निविदा के साथ संलग्न सूची (ANNEXURE-C) में वर्णित प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी। एक से अधिक दरें होने पर उक्त आइटम की दर न्यूनतम दर को मान लिया जायेगा।
   - निविदादाता द्वारा दरों जी.एस.टी. एवं अन्य कर सहित प्रस्तुत करनी होगी।
   - नारी निकेतन के लिए फल एवं सब्जी आपूर्ती करने वाले सफल निविदादाता का निर्धारण ANNEXURE-C में समस्त आइटम के लिए दी गई दरों के न्यूनतम कुल योग के आधार पर किया जावेगा।
   - **वित्तिय निविदा को अलग से दूसरे लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना है।**
5. नारी निकेतन के लिए आवश्यकतानुसार फल एवं सब्जी आपूर्ती के लिए मात्रा के सम्बन्ध में समस्त अधीक्षक नारी निकेतन को होगा।
6. निविदा प्रारूप स्याही /टंकण से भरा जावेगा। पेन्सिल से भरी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. विधि मान्यता : निविदाये खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। निविदादाता द्वारा दी गई दरें कार्यादेश दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
8. संवेदक अपनी संविदा को या सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नहीं सोपेंगा या उप भाडे पर (सबलेट) पर नहीं देगा।

2022

9. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के भीतर वापस कर दी जावेगी।

10. यह दर नारी निकेतन में आवासरत आवासनियों के दोनो समय के भोजन एव नाश्ते मे प्रयुक्त होने वाले फल एवं सब्जी के लिए आंमन्त्रित की गई है। निविदादाता द्वारा मीसम अनुसार/कार्यालय के आदेशानुसार पत्तेदार एवं हरि सब्जी तथा फल की आपूर्ती की जायेगी।

11. अधीक्षक नारी निकेतन कोटा द्वारा निविदादाता को साप्ताहिक डाइट मीनू उपलब्ध करवाया जायेगा। फल एव सब्जी की आपूर्ती डाइट मीनू के अनुसार दैनिक/दिये गये आदेशानुसार की जायेगी।

12. फल तथा सब्जी की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। फल एवं सब्जी मे रासायनिक /कीटनाशकों की मात्रा अधिक पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

13. आपूर्तीकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ती विभागीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप आदेशित अवधि के अन्दर की जायेगी एवं अनुबन्धित दरों पर आवश्यकतानुसार माल प्राप्त किया जा सकता है।

14. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है अथवा अनुबन्धित अवधि में अनुमानित लागत से कम अथव अधिक कय करता है तो इस सम्बन्ध मे निविदादाता को होने वाले अतिरिक्त व्यय/हानि के सम्बन्ध में केता अधिकारी द्वारा कोई क्षतिपूर्ती का भुगतान नहीं किया जायेगां।

15. दर सविदां राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 के नियम 29(जे.) के अनुसार " दर सविदां के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी।

16. कार्य संपादन प्रतिभूति एवं करार :–

   1. सफल निविदादाता को आदेष के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप मे एक करार 200/– रू. के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा।
   2. सफल निविदादाता निविदा मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति डी.डी/बैकर्स चैक/एफ. डी.आर के रूप में जमा करानी होगी, जो कि SUPERINTENDENT NARI NIKETAN KOTA के नाम से देय होगी। यह करार एवं प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, के सात दिवस के भीतर जमा कराई जायेगी।
   3. निविदा के समय जमा कराई गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा।
   4. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
   5. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगााने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रति निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

17. बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलो मे समपहरण कर लिया जायेगा:–

   1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है उसमे उपान्तरण करता है।
   2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो।
   3. जब निविदादाता कार्यादेश देने के बाद कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।
   4. जब निविदादाता विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने मे असफल रहता हो।

18. कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो मे समपहत कर लिया जायेगा।

   1. जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो ।
   2. जब निविदादाता सम्पूर्णकार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो ।
   3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सबंध मे केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

19. भुगतान:–

(1) राशि का भुगतान दिये गये आदेश के अनुसार पूर्ण एवं सही स्थिति में सामग्री प्राप्त होने पर किया जावेगा।

(2) सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किये जायेगें। केता अधिकारी द्वारा इस सम्बंन्ध में कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

(3) निविदादाता द्वारा अकित की गई दरों में सभी प्रकार के व्यय एवं कर शामिल होगे।

20. बिडंदाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में सामान की सुपूर्दगी यथास्थान पर करेगा। अन्यथा विलम्ब से आपूर्ती किये जाने पर परिसमापति नुकसानी वसूली की जावेगी। सुपूदर्गी अवधि मे वृद्वि करने के मामले में, वसूली सामान्य वितीय एवं लेखा नियम पार्ट 2 नियम 68 के अर्न्तगत नियम शर्तो के अन्तर्गत बिन्दू संख्या 35(II) के द्वारा वसूल की जावेगी।

21. वसूलियां :–

परिसमापति नुकसानी, घटिया किस्म की प्रदाय, टूट फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में से की जावेगी।

कम प्रदाय, टूट फूट, रद्द कीये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लार्य सन्तोषजनक नहीं बदलता है तो परिसमापति नुकसानी के साथ वसूली उसके देय राशि क्लेमस एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से की जावेगी।

22. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है निविदा मे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप मे कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।

23. अधीक्षक किसी भी निविदा को जो आवश्यकरूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने ,बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदा दाता ने निविदा दी है,उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर्स से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

24. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर नारी निकेतन अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा व संवेदक को मानना होगा।

25. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा कोटा मे स्थित न्यायालय मे ही पेश किया जायेगा ।

26. निविदा में भरी जाने वाली नारी निकेतन कोटा के भण्डार तक सामग्री पहुचाने के लिए होगी ओर उसमें सभी प्रकार के कर गाडी भाडा आदि शामिल होगें।

27. एक बार करार हो जाने पर सफल निविदादाता को सम्पूर्ण अवधि तक अनुमोदित दरों आपूर्ति करनी होगी, चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थिति ही उत्पन्न क्यों न जो जाए। यदि किसी वस्तु पर नियंत्रण है या हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमोदित पत्र की जरूरत हो तो विभाग इस हेतु ठेकेदार की सहायता करने का प्रयत्न करेगा। इस स्थिती मे भुगतान अनुमोदित टेण्डर दरो अथवा नियंत्रित दरो दोनो मे से जो भी कम होगी, उसी के अनुसार किया जावेगा।

28. आदेशानुसार माल की आपुर्ति एक साथ करनी होगी। छोटे छोटे भागो में आपूर्ति स्वीकार नही की जावेगी। यदि ठेकेदार भागों में सप्लाई करता हैं तो उस पर एक क्रय आदेश की आपूर्ति नही करने पर रूपयें 500/– अथवा आपूर्ति नही की गई सामाग्री मूल्य जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य बिल मे से कॉट कर भुगतान किया जावेगा।

29. सब्जियों तथा फलों की आपूर्ति हेतु मांग के अनुसार जारी किया जाएगा आदेशित फल एवं सब्जी बाजार में उपलब्ध नही होने पर पूर्ण सन्तुष्ट होने पर ही अन्य फल सब्जी का आदेश दिया जाएगा।

30. सामग्री की आपूर्ति समय पर नही करने पर नारी निकेतन अधीक्षक को अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री बाजार में मंगवा ले और उसमें हुए अतिरिक्त व्यय को ठेकेदार के विचाराधीन बिल या प्रतिभूति राशि या अन्य तरीके से वसूल कर लेवें।

31. निविदादाता द्वारा अनुवन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा। अनुबन्ध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को निर्णित करने के सम्बन्ध में अधीक्षक नारी निकेतन कोटा द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। जो कि अनुबन्धकर्ता फर्म को मान्य होगा।

32. यदि संविदा के निर्वचन आय या सविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण उपापन संस्था को भेजा जावेगा। इसमें उपापन संस्था द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

33. अनुबंध अवधि के दौरान यदि ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति अथवा नियम लागु होते है जिनका उपाबन्ध दर अनुबन्ध की शर्तो में नहीं है। तो उनका निराकरण सामान्य वितीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के द्वारा विनियमित होगें।

34. नियमों मे इस सम्बन्ध में व्यवस्था नही होने पर अधीक्षक नारी निकेतन कोटा द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। जो कि अनुवन्धकर्ता फर्म को मान्य होगा।

35. निविदादाता द्वारा माह की 07 तारीख से पहले फर्म का बिल मय आपूर्तिलिस्ट कार्यालय जमा करना होगा।

36. ई–ग्रास चालान विवरण –

Service Challan

⇓

Department Name – Social Justice & Empowerment department

⇓

Service Name – Tender (Non-Eproc)

⇓

निविदा प्रपत्र शुल्क – मद 0075–00–800–52–01(निविदा प्रपत्र शुल्क 200रूपये)

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 36 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांकः–

हस्ताक्षर
निविदादाता एवं नाम

Annexure-A

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि मेरें/हमारे द्वारा फल एवं सब्जी आपूर्ती कार्य जहॉ कही भी किया है, उस कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में फल एवं सब्जी आपूर्ती के सम्बन्ध में कोई भी वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम –
पूर्ण पता–

मोबाईल नम्बर –
ई–मेल –

Annexure-B

एस. आर. 11

–:निविदादाताओं द्वारा घोषणाः–

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट/उप विक्रेता/विक्रेता हूं/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम –
पूर्ण पता–

मोबाईल नम्बर –
ई–मेल –

कार्यालय अधीक्षक नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नांता कोटा (राज.)

इमेलः–narinikctankota@gmail.com

(ANNEXURE - C)

वित्तिय निविदा प्रपत्र प्राईस बिड

1. निविदादाता का नाम ....
2. डाक का पूरा पता...
3. दूरभाष नं. .... ईमेल..
4. खुली निविदा आंमत्रण सूचना 03/2023–24 क्रमांक .... दिनांक ....
5. फल/सब्जी की आपूर्ती की हमारी दर निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	फल/सब्जी का नाम	प्रति आवासनी प्रति ग्राम प्रतिदिन	दर राशि रूपये प्रति किलों (अंको मे)	दर राशि रूपये प्रति किलों (शब्दो मे)
1	सब्जियाँ (मौसम के अनुसार)	200 ग्राम		
2	आलू			
3	प्याज	15 ग्राम		
4	टमाटर	15 ग्राम		
5	लहसुन	5 ग्राम		
6	अदरक	5 ग्राम		
7	हरी मिर्च	10 ग्राम		
8	केला	150 ग्राम फल प्रतिदिन		
9	सेव			
10	अमरूद			
11	मौसमी /संतरा			

12	पपीता	प्रति आवासनी		
13	आम			
14	चीकू			
15	अंगूर			
16	तरबूज / खरबूजा			
17	नासपति			
18	मौसम के अनुसार अन्य फल			
	कुल योग			

नोटः—

1. सभी आईटम की दरें अंको व शब्दों में अकिंत करना अनिवार्य है।

निविदा की समस्त शर्तो के अनुसार फल / सब्जी आपूर्ती उक्त दरो पर अधीक्षक के आदेशानुसार / माँग पत्र के अनुसार आपूर्ती करने के लिए निविदादाता प्रतिबद्व रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व पता